

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
**वसंत कुंज खेल परिसर**  
**वसंत कुंज, नई दिल्ली**

**नोटिस आमंत्रण कोटेशन नं. 04/वीकेएससी/डीडीए/2021-22**

वसंत कुंज खेल परिसर में निम्नलिखित कार्य के लिए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, (खेल विंग) की ओर से मुहरबंद मद दर कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन सचिव, वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए के कार्यालय में **15.03.2022** को या उससे पहले अपराह्न 3.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और इच्छुक कोटेशनरों की उपस्थिति में उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोला जाएगा। केवल सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक/एजेसियों/फर्मों/व्यक्तियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार में तीन समान कार्य किए हैं। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवेदन करने के पात्र हैं। इस संबंध में एक प्रमाण को कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आर.बी.आई. द्वारा अनुमोदित किसी भी अनुसूचित बैंक के पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **₹.5000/-** की बयाना राशि। कोटेशन के साथ प्रस्तुत करने के लिए "सीएयू स्पोर्ट्स, डीडीए" के पक्ष में तैयार किया गया। कोई भी कोटेशन जिसके साथ निर्धारित तरीके से बयाना राशि नहीं है, उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उसका हिसाब नहीं दिया जाएगा।

**अनुमानित लागत:** ₹. 6,000/-  
**बयाना राशि:** ₹. 5,000/-

**कार्य का नाम:** वसंत कुंज खेल परिसर का रखरखाव, डीडीए  
**उपशीर्ष:** वीकेएससी में अनुपयोगी वस्तुओं का मूल्यांकन।

Sl. No.	Description	Qty.	Unit	Rate (both in fig. & words)	Amount
1	Valuation of unserviceable material including old gym equipment and scrap material placed at various places in Vasant Kunj Sports Complex	1 Job	Job		

**नियम एवं शर्तें:-**

- कार्य आदेश / सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के विनिर्देश के अनुसार आज तक और सचिव / वीकेएससी और आई (सी) / वीकेएससी की संपूर्ण संतुष्टि के अनुसार कार्य किया जाएगा।
- कोट की गई दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होने चाहिए, इस संबंध में डीडीए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
- भुगतान आई(सी)/सचिव/वीकेएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
- विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
- एजेसी को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कोटेशन के साथ जीएसटी पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- एजेसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- आयुक्त (खेल) के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली / कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर आयुक्त (खेल) के पास संबंधित एजेसी को डिबार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- लागू होने वाली आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
- निविदा राशि से 5% सुरक्षा राशि की कटौती की जाएगी।
- किसी भी अवयस्क को स्थल पर नहीं लगाया जाएगा।
- विभाग द्वारा एजेसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- एजेसी काम पूरा होने के बाद सभी अधिशेष सामग्री/कचरा आदि को हटा देगी।

15. कोटेशन की वैधता खोलने की तारीख से 75 दिन है।
16. एजेंसी को पानी की अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।
17. विवर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए।
18. किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से मुख्तारनामा हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी डिबारिंग के लिए उत्तरदायी है।
19. डाक/कूरियर/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी कोटेशन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
20. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
21. कार्य पूरा करने के लिए 7 (सात) दिनों की अनुमति दी गई है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित एजेंसी से वसूली की जाएगी यदि ईओटी प्रदान नहीं किया गया है।
22. कोटेशनकर्ता को साइट की स्थिति की जानकारी रखने के लिए निविदा देने से पहले कार्य निष्पादन स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। एजेंसी को साइट को खाली करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी और फिर सचिव/वीकेएससी और प्रभारी अभियंता द्वारा वांछित पुनर्व्यवस्थित करना होगा।
23. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
24. कार्य के दौरान कोई भी चोट/दुर्घटना होती है, डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा; किसी भी दावे को पहले चरण में खारिज कर दिया जाएगा केवल एजेंसी जिम्मेदार होगी।
25. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सचिव/वीकेएससी, आई (सिविल)/वीकेएससी और एएओ/वीकेएससी की एक समिति द्वारा ड्रा निकाला जाएगा।
26. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/वीकेएससी के विवेकाधिकार में होगा कि वह आइटम के काम को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जो सचिव को उचित और उचित समझे या कार्य आदेश को रद्द करने के लिए / काम के बदले किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि को जब्त करने या संबंधित एजेंसी को डिबार करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष प्रश्रुत नहीं किया जाएगा।
27. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि स्थल/आसपास पर किसी प्रकार की हानि/चोरी/क्षति हुई है, तो उसे उद्धृत दरों में पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
28. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावना से की गई है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
29. कि सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रमिक और ऐसे ही कर्मचारी एजेंसी के कर्मचारी होंगे। एजेंसी ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए उसी तरह जिम्मेदार होगी जैसे एजेंसी अपने अन्य कर्मचारियों को देती है। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
30. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर जब भी सेवा में कोई कमी देखी जाएगी तो उसे सुधारने के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
31. कोई भी फर्म, उद्यम, एक ही मालिक, भागीदार या महत्वपूर्ण शेयरधारक/प्रवर्तक वाले उद्यमों का संघ अनुचित लाभ प्राप्त करने और भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सीवीसी दिशानिर्देशों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन को अवैध माना जाएगा। इस तरह की निविदा बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और फर्म के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई शुरू की जाएगी।
32. अप्रत्याशित घटना, प्रकृति की घटना, अप्रत्याशित दुर्घटना, किसी नए कानून के लागू होने, किसी भी सरकारी दिशानिर्देश आदि की स्थिति में, जो कार्य के दायरे को कम करने या एक बार काम को पूरी तरह से रोकने का प्रभाव है, डीडीए अधिकार सुरक्षित रखता है बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निलंबित या समाप्त करने के लिए। ऐसी घटना में, डीडीए किसी भी पक्ष को रिडीम नहीं करेगा या ठेकेदार (ओं), उसके सहयोगियों, किसी तीसरे

पक्ष, मजदूरों आदि को किसी भी नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, इस तरह के प्रो-क्लोजर, निलंबन या अनुबंध की समाप्ति के कारण किसी भी नुकसान के लिए।

33. एक अंडरटेकिंग (कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है) जिसमें एनआईक्यू नंबर/कार्य का नाम उल्लिखित हो और जिसमें निम्नानुसार हो: -

ए) "मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य/कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक टू बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, यदि इस तरह का उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हम भविष्य में हमेशा के लिए डीडीए में बोली लगाने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा उल्लंघन कार्य शुरू होने की तिथि से पहले विभाग के संज्ञान में आता है, तो प्रभारी अभियंता को बयाना राशि जमा / प्रदर्शन गारंटी की पूरी राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ख) मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मुझे/हमें किसी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। /नगर एजेंसी।

**ए.ई.(सिविल)/वीकेएससी**

सं. एसपी/वीकेएससी/0001/2021/एसीयूआई/वीकेएससी/  
कॉपी:-

दिनांक: 07.03.2022

1. आयुक्त (खेल), डीडीए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (खेल), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसर के सभी सचिव।
5. डीडीए ठेकेदार संघ ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए ठेकेदार कल्याण संघ, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली ठेकेदार कल्याण संघ (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग- II, नई दिल्ली।
8. एएओ/वीकेएससी।
9. नोटिस बोर्ड।

**ए.ई.(सिविल)/वीकेएससी**